भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में उप नर्सिंग अधीक्षक के पद के लिए प्रारुप भर्ती नियमों पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं.एबी.14017/61/2008-एस्ट (आरआर) के अनुपालन में, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में उप नर्सिंग अधीक्षक के पद के लिए प्रारुप भर्ती नियम संलग्न हैं।

प्रारुप भर्ती नियमों पर आपत्ति/टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति (स्टेक होल्डर्स) अपनी आपत्ति/टिप्पणी या सुझाव इन प्रारुप भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर लिखित रूप में श्री अजय कुमार केपी, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 521-ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को या ई-मेल पते: ajaya59@gmail.com पर भेज सकते हैं।

(अजय कुमार केपी)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन: 011-23061342

नई दिल्ली
दिनांक:

अनुलग्नक

क्र.सं.	विवरण	वर्तमान भर्ती नियमों में प्रावधान	प्रस्तावित भर्ती नियमों में संशोधित प्रावधान	औचित्य
1.	पद का नाम	उप नर्सिंग अधीक्षक	उप नर्सिंग अधीक्षक	
2.	पदों की सं.	2* (1993) (कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	2* (2017) (कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	
3.	वर्गीकरण	सामान्य सिविल सेवा ग्रुप 'ख' और अराजपत्रित, अननुसचिवीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 9.04.2009 के आदेश सं. 11012/7/2008-स्था. (ए) में पद संबंधी स्पष्टीकरण के अनुसार।
4.	वेतनमान (वेतन अब वेतन मैट्रिक्स में)	1. वेतनमान रु. 7500-250-12000 2. संशोधित वेतनमान रु. 8000-13500 पीबी-3 ग्रे.वे. 5400 रु. रिपोर्ट का पेरा नं. 3.8.15 भाग 'ख', कुछ आम श्रेणी के स्टॉफ के लिए संशोधित वेतनमान, सेक्शन-।।, पेरा –XII (5), सीसीएस, संशोधित वेतन नियामवली 2008	वेतन मैट्रिक्स का लेवल-10 (रु. 56100) (सीसीएस संशोधित वेतन नियावली 2016)	निदेशालय के दिनांक 19.11.2008 के पत्र सं. ए. 12034/02/2008-पीएच (आईएच) में उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार भर्ती नियम में संशोधन अपेक्षित है। सरकारी अनुमोदन भाग 'ख' में, कुछ आम श्रेणी के स्टॉफ के लिए संशोधित वेतनमान, सेक्शन-।। पेरा –XII (5), छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के सीसीएस, संशोधित वेतन नियामवली 2008 और सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग

				की अनुशंसा के अनुसार।
5.	क्या चयन पद अथवा अचयन पद	चयन-सह-वरिष्ठता	चयन	प्रस्तावित संशोधन औचित्यपूर्ण नहीं है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.03.2015 के कार्यालय ज्ञापन सं. एबी.14017/13/2013-स्था. (आरआर) के दिशा-निर्देशों के अनुसार यह चयन पद होना चाहिए।
6.	(पहले के 14 प्वाइंट अनुसूची में 6) सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	लागू नहीं	लागू नहीं	
7.	(पहले के 14 प्वाइंट अनुसूची में 8) सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य अर्हता	लागू नहीं	लागू नहीं	
8	(पहले के 14 प्वाइंट अनुसूची में 9) क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी।	लागू नहीं	लागू नहीं	
9.	(पहले के 14 प्वाइंट अनुसूची में 10) परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	2 वर्ष	2 वर्ष	
10.	(पहले के 14 प्वाइंट अनुसूची में 11) भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धत्तियों	पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति द्वारा	

	द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता			
11.	(पहले के 14 प्वाइंट अनुसूची में 12) प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	सीआईपी, रांची में समकक्ष ग्रेड में नियमित आधार पर 3 वर्ष की सेवा वाली सहायक नर्सिंग अधीक्षक। टिप्पणी: जहां कनि. कार्मिक ने अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली हो और प्रोन्नति के लिए उस पर विचार किया जा रहा हो, तो उनसे वरि. कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा आधे से अधिक अथवा दो वर्ष से कम, जो भी कम हो, न हो तथा उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने से कनि. ऐसे कार्मिकों के साथ सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो जिन्होंने अपने अर्हक/पात्रता सेवा पूर्ण कर ली है।	सीआईपी, रांची में समकक्ष ग्रेड में नियमित आधार पर 3 वर्ष की सेवा वाली सहायक नर्सिंग अधीक्षक। टिप्पणी: जहां कनि. कार्मिक ने अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली हो और प्रोन्नति के लिए उस पर विचार किया जा रहा हो, तो उनसे वरि. कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा आधे से अधिक अथवा दो वर्ष से कम, जो भी कम हो, न हो तथा उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने से कनि. ऐसे कार्मिकों के साथ सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो जिन्होंने अपने अर्हक/पात्रता सेवा पूर्ण कर ली है।	
12.	(पहले के 14 प्वाइंट अनुसूची में 13) यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	ग्रुप 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना: 1. अपर महानिदेशक/उपमहानिदेशक (संबद्ध) - अध्यक्ष 2. निदेशक (प्रशा. सतर्कता) - सदस्य 3. नर्सिंग सलाहकार- सदस्य	ग्रुप 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) और ग्रुप 'क' विभागीय नियमितीकरण समिति की संरचना : 1. आयोग के अध्यक्ष/सदस्य- अध्यक्ष 2. अपर महानिदेशक/उपमहानिदेशक (एम) - सदस्य	

		4. उप निदेशक (प्रशा.)- सदस्य	3. निदेशक (एमई), स्वा. से. महानिदेशालय– सदस्य 4. नर्सिंग सलाहकार - सदस्य 5. उप निदेशक (प्रशा.) स्वा. से. महानिदेशालय - सदस्य	
13.	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्शन आवश्यक नहीं	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्शन आवश्यक नहीं	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.03.2015 के का.ज्ञा.सं. एबी.14017/13/2013-स्था. (आरआर) के दिशा-निर्देशों के अनुसार